	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-06-26	पत्रावली पेश हुई। इस आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) का निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादी अधिवक्ता की दलील है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादी स्वंय को करनाराम जी के गोद पुत्र होना का कथन करते हुए गोद पुत्र घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा का अनुतोष चाहा गया है, वादी कभी करनाराम के गोद नहीं गया तथा गेपाराम के पुत्र होने से गेपाराम के 1/2 हिस्से की भूमि में से राजस्व रेकर्ड में 1/10 हिस्सा दर्ज है जो सही है, विधिनुसार राजस्व न्यायालय गोद पुत्रों की घोषणा नहीं कर सकता है, वादी ने सक्षम न्यायालय से गोद पुत्र की घोषणा नहीं करवाई है, वादी ने वर्तमान वाद पत्र में गोद पुत्र की घोषणा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने की मांग की है गोद पुत्र के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है लिहाजा वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी द्वारा अपने दलील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। वादी अधिवक्ता की दलील है कि वादी द्वारा पैतृक भूमि में घोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया जो विधि अनुसार है वादग्रस्त भूमि वादी के गोद पिता करनाराम की है। करनाराम ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 21.05.1990 को रामा पुत्र मादा व दलपतसिंह पुत्र धनसिंह के रूबरू गोदनामा निष्पादित कर दिया था, विधि के तहत जब कोई व्यक्ति गोद जाता है तो जायन्दा पिता के घर उसकी सिविल मृत्यु तथा गोद पिता के घर सिविल जन्म हो जाता है यानि गोद पिता के घर पर एक पुत्र की हैसियत से अधिकार उत्पन्न हो जाते है वादी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत यह दावा सही तौर से पेश किया है , वादी ने गेपाराम के परिवार से कोई हिस्सा नहीं लिया, प्रतिवादीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वादी के समस्त दस्तावेज में गोद पुत्र करनाजी ही दर्ज है, राजस्व विधि के अनुसार अपने हक उत्तराधिकार अधि के प्रावधानो के अनुरूप राजस्व वाद के जरिये खतोदारी अधिकार की घोषणा की जा सकती है न कि सिविल न्यायालय द्वारा,इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नजरी 2024 (4) डीएनजे राजस्थान पेज संख्या 1783 पुरूषोत्तम बनाम दुर्गाराम वगैराह में अधिमत पारि किया गया है कि खातेदारी भूमि में घोषणा का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जाता है लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी पत्रावली पर उपलब्ध	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	दस्तावेज का गंभीरता से अध्ययन एवं मनन किया तथा न्यायिक दृष्टांत का सस्मान अवलोकन किया गया।	

यहां न्यायालय को यह तय करना है कि क्या वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) के प्रावधानो के तहत वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है।

वादग्रस्त भूमि स्व. करनाराम की पैतृक खातेदारी भूमि थी तथा करनाराम लाऔलाद अविवाहित फौत हो गया है वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में स्व. करनाराम के गोद पुत्र होने से स्व. करनाराम के खातेदारी भूमि वादी के नाम घोषित किया जाना का वाद प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा अपंजीकृत गोदनामा लिखित दिनांक 21.05.1990 का प्रस्तुत किया गया है। जिसकी साख रामा पुत्र मादा व दलपत पुत्र धनसिंह द्वारा दी गई है। करनाराम के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 433 दिनांक 10.03.1997 को पारित किया गया तथा करनाराम के लाऔलाद फौत होने पर करनाराम के हिस्से की भूमि गेपाराम के वारिसान व वजाराम के नाम पर दर्ज हुई। उक्त नामान्तकरण को वादी द्वारा अदिनांक तक कभी भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी हो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय ने 1985 आर.आर.डी. पेज 99 के विनिश्यच में अभिनिर्धारित किया है जहां गोद की घोषणा के सम्बन्ध में मुख्य अनुतोष हो, वहाँ उक्त घोषणा कराये बिना अन्य अनुतोष प्रदत्त नहीं किय जा सकता एवं गोद पुत्र की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में वाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय है न कि राजस्व न्यायालय द्वारा । हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा गोदनामा के आधार पर गोद पिता करनाराम के हिस्से की भूमि में खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद पेश है जो एक अपंजीकृत दस्तावेज है। उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार अदालत हाजा को प्राप्त नही होने से वाद हैतृक उत्पन्न नहीं हो रहा है।

लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र आदेश 7नियम11 (डी) के तहत अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

न्यायालयः–

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 71/2023

वादी:–

धूसाराम गोदपुत्र स्व. करनारामजी जाति रबारी निवासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

पार्टी संख्या 1:–

(गेपाराम पुत्र अजाराम जाति रबारी के वारिसान)

1. स्व. मोटाराम पुत्र गेपाराम जाति रबारी
   1/1 घेवरराम पुत्र मोटाराम जाति रबारी
   1/2 सुवटीदेवी पत्नी मोटाराम जाति रबारी
   1/3 बादलीदेवी पुत्री मोटाराम जाति रबारी
2. दौलाराम पुत्र गेपाराम जाति रबारी
3. वचनाराम पुत्र गेपाराम जाति रबारी
4. बागाराम पुत्र गेपाराम जाति रबारी

पार्टी संख्या 2:–

(स्व. वजाराम पुत्र अजाजी जाति रबारी के वारिसान)

5. जेताराम पुत्र वजाराम जाति रबारी
6. बलाराम पुत्र वजाराम जाति रबारी
7. भोपाराम पुत्र वजाराम जाति रबारी
8. वागाराम पुत्र वजाराम जाति रबारी
9. चदनो देवी पत्नी वजाराम जाति रबारी

पार्टी संख्या 3:–

10. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. ए.डी.बी. शाखा सिवाना
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –01.06.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र पर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.06.2026 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना